ENGINEERING COLLEGE, AJMER

(An Autonomous Institute of Govt. of Rajasthan)

Barliya Choraha National Highway No. – 8, Ajmer

www. ecajmer.ac.in ☎ 0145 – 2971024

अमअ / संस्थापन / 2024 / 123 दिनांक 31.07.24

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय का नया सत्र 2024–2025 प्रारम्भ हो गया है और वर्तमान में नये छात्र–छात्राओं के प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें प्रायः यह देखने में आया है कि कई कार्मिक अवकाश ग्रहण करने से पूर्व उचित माध्यम के द्वारा पूर्व में अवकाश स्वीकृत बिना करवायें ही अवकाश ग्रहण कर लेते है और ना ही महाविद्यालय की ई आर पी पर अपलोड करते है। कई बार कार्मिक अवकाश से लौटने के पश्चात भी अवकाश प्रेषित नहीं करते है । विभागाध्यक्ष / सैक्शन इंचार्ज के द्वारा कार्मिकों की ई आर पी पर अपलोड अवकाश को शीघ्र स्वीकृत नहीं किया जाता है । उक्त कारणों के कारण संस्थापनशाखा के द्वारा महाविद्यालय के कार्मिकों की उपस्थिति / अनुपस्थिति समय पर तैयार नहीं होने के कारण वेतनमान का भुगतान करने में देरी हो सकती है ।

अतः महाविद्यालय के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि अवकाश को पूर्व में उचित माध्यम के द्वारा प्रेषित कर अनुमोदन करवा कर ही अवकाश का उपभोग करे । कोई कार्मिक यदि किसी विशेष कारण से पूर्व में अवकाश प्रेषित नहीं कर सके,तो कार्य पर उपस्थित होने के तीन कार्य दिवस में उपभोग अवकाश का प्रार्थना पत्र उचित माध्यम के द्वारा प्रेषित कर सक्षम स्तर से अनुमोदन करवायें ।

यदि कोई कार्मिक उक्त आदेशों की अवहेलना करता है, तो संस्थापनशाखा स्वंत ही उस संबंधित कार्मिक की जो अवकाश (आकस्मिक अवकाश / उपार्जित अवकाश) शेष है में से कटौति कर ली जावेगी, उक्त समस्त कार्यवाही के लिये वह संबंधित कार्मिक ही जिम्मेदार होगा ।

प्राचार्य

अमअ/2024/1608 – 1613

प्रतिलिपि निम्नांकित को वेबसाईट के द्वारा पालनार्थः–

1 समस्त विभागाध्यक्षों / सैक्शन इंचार्ज को उपरोक्तानुसार आवश्याक कार्यवही हेतु प्रेषित है ।
2 समस्त कार्मिकों को उपरोक्तानुसार पालनार्थ हेतु प्रेषित है ।
3 उप कुलसचिव (वित्त) को सूचनार्थ प्रेषित है ।
4 कुलसचिव को उपरोक्तानुसार से आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है ।
5 संस्थापनशाखा को आवश्याक कार्यवही हेतु प्रेषित है ।
6 रक्षक पत्रावली

प्राचार्य